

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन एवं उनका अनुपालन।

दिनांक 30 दिसंबर 2014 को संपन्न संस्थान के संसदीय राजभाषा निरीक्षण के दौरान संस्थान की ओर से माननीय संसदीय राजभाषा समिति को निम्नलिखित आश्वासन दिए गए थे -

क्र.सं.	आश्वासन
1.	जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
2.	हिंदी जानने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
3.	कार्यालय द्वारा प्राप्त सभी हिंदी पत्रों के उत्तर केवल हिंदी में दिए जाएंगे।
4.	“क” क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे।
5.	मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
6.	हिंदी पुस्तकों की खरीद बढ़ाई जाएगी तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य इसी वर्ष पूरा किया जाएगा।
7.	सभी प्रकार की विभागीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि की कार्यसूची/कार्यवृत्त द्विभाषी जारी किए जाएंगे।
8.	पूरा काम हिंदी में करने के लिए कुछ और अनुभागों को शीघ्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
9.	मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा सभी विज्ञापन द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में जारी किए जाएंगे।
10.	“ध्यान देने योग्य बातों” पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा उपर्युक्त आश्वासनों में से पाँच आश्वासन (आश्वासन सं. 2, 3, 4, 8 तथा 9) पूर्ण कर लिए हैं जिसकी सूचना माननीय संसदीय समिति को दी जा चुकी है। समिति को दिए गए शेष आश्वासन भी पूर्ण किए जाने अपरिहार्य हैं।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 04 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक में इस विषय पर चर्चा के दौरान निदेशक महोदय ने यह सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया कि निम्नलिखित लंबित संसदीय आश्वासनों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए:-

- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
 - मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
 - हिंदी पुस्तकों की खरीद बढ़ाई जाएगी तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य इसी वर्ष पूरा किया जाएगा।
 - सभी प्रकार की विभागीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि की कार्यसूची/कार्यवृत्त द्विभाषी जारी किए जाएंगे।
 - “ध्यान देने योग्य बातों” पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- (का.ज्ञा. सं. 35/1/2011-रा.भा. दिनांक 21 जनवरी, 2015, 26 मार्च, 2015 और 19 मार्च, 2015 का संदर्भ लें)

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन संस्थान के सभी कर्मिकों/अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण किए जाने के लिए शेष/ लंबित उपर्युक्त आश्वासनों को पूरा करने में गंभीरतापूर्वक प्रयास करें।



(विनोद कुमार)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि - 1. निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के निजी सचिव

2. राकास के सभी सदस्य

3. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष - कृपया इसे अपने अधीनस्थ सहकर्मियों की जानकारी में ला दें।

4. सूचना पट्ट